रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 1995/आषाढ 14, 1917
No. 393] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 1995/ASADHA 14, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1995

आयकर

का. आ. 612(अ) :– केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1995 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 1995 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,–

(क) नियम 29ग में, –

(i) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :––

'यथास्थिति, धारा 194क के अधीन स्रोत पर कर की कटौती किए बिना या धारा 194ट के अधीन स्रोत पर कर की कटौती किए बिना यूनिटों से संबंधित आय "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के संदाय के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा (जो कंपनी या फर्म नहीं है) धारा 197क की उपधारा (1क) के अधीन घोषणा, प्ररूप सं० 15ज में की जाएगी और उसमें उपदर्शित रीति से सत्यापित की जाएगी ;

(ii) उपनियम (4) में "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज, या' शब्दों के पश्चात "यूनिटों से संबंधित आय" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे,

(ख) प्ररूप सं. 15ज के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप सं. 15ज

(नियम 29ग (3) देखिए)

कर की कटौती किए बिना "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज या यूनिटों से संबंधित आय की प्राप्ति का दावा करने वाले किसी व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म नहीं है) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197क (1क) के अधीन की जाने वाली घोषणा

भाग 1

मैं/हम .....जो .....का पुत्र/की पुत्री/पत्नी है/हैं और .....का निवासी हूं/हैं, घोषणा करता/करती हूं कि

1 वे राशियां जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, मेरे/हमारे नाम में हैं और फायदाप्रद रूप से* मेरी/हमारी हैं, और ऐसी राशियों की बाबत ब्याज और/या यूनिटों से संबंधित आय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 60 से धारा 64 तक के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य है,—

*सारणी 1

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे राशियां ब्याज पर दी गई है	ऐसी राशियों की रकम	वह तारीख (तारीखें) जिसको/ जिनको ऐसी राशियां ब्याज पर दी गई हैं	वह अवधि जिसके लिए ऐसी राशियां ब्याज पर दी गई हैं	ब्याज की दर

सारणी 2

पारस्परिक निधि का नाम और पता	यूनिटों की सं.	यूनिटों का वर्ग और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिटों की सुस्पष्ट सं	यूनिटों की बाबत आय

2. *मेरी/हमारी वर्तमान उपजीविका .....है।

3. निर्धारण वर्ष 19..... 19.....में सुसंगत .....को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार संगणित मेरी/हमारी प्राक्कलित कुल आय, जिसके अन्तर्गत पैरा 1 में निर्दिष्ट "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज और/या यूनिटों से संबंधित आय भी है, शून्य होगी ;

4. *इसके पूर्व किसी भी समय आयकर के लिए मेरा/हमारा निर्धारण नहीं किया गया है किन्तु मैं/हम मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त .....की अधिकारिता में हूं,

या

निर्धारण वर्ष 19..... 19.....के लिए आयकर का मेरा/हमारा निर्धारण, निर्धारण अधिकारी ..... सर्किल वार्ड/जिला द्वारा किया गया था और मुझे/हमें दी गई स्थायी लेखा सं. .....है।

**घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

*मैं/हम ——————————घोषणा करता हूं/करते हैं कि पैरा 1 से पैरा 4 की विषय वस्तु *मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

आज तारीख ——————————को सत्यापित किया गया।

स्थान ——————

——————————

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग – 2

(उस व्यक्ति के प्रयोग के लिए जिसे घोषणा प्रस्तुत की गई है)

1. घोषणा के पैरा 1 में उल्लिखित, यथास्थिति, राशियों पर ब्याज या यूनिटों से संबंधित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पता ——————————

2. तारीख जिसको घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा प्रस्तुत की गई थी।

3. वह अवधि, जिसके लिए, यथास्थिति, ब्याज या यूनिटों से संबंधित आय जमा की गई है/संदत्त की गई है।

4. यथास्थिति, ब्याज की रकम या यूनिटों से संबंधित आय——

5. वह दर, यथास्थिति जिस पर ब्याज या यूनिटों से संबंधित आय जमा की गई है/संदत्त की गई है –

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित

स्थान ——————

तारीख ——————

——————————

"प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज/ "यूनिटों से संबंधित आय" का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

टिप्पण :

1. *पूरा डाक पता लिखें।

2. घोषणा दो प्रतियों में दी जानी चाहिए।

3. *जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

4. **क्षमता उपदर्शित करें जिसमें घोषणा, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम आदि की ओर से दी जाती है।

5. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व घोषणाकर्ता को अपना यह समाधान कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण है।

6. घोषणा में मिथ्या कथन करने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अधीन अभियोजन चलाया जाएगा और सिद्धदोष होने पर वह—

(i) उस मामले में जहां कर की रकम जिसका, यदि वह विवरण या लेखा सत्य मान लिया जाता तो अपवचन हो जाता, एक लाख रुपए से अधिक है, वहां कठिन कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दण्डनीय होगा ;

(ii) किसी अन्य मामले में, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।"।

[सं. 9805/142/29/95 – टीपीएल]

के. जी. बंसल, निदेशक (टी. पी. एल.)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1995

INCOME-TAX

S.O. 612 (E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Seventh Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of July, 1995.

2. In the Income-tax Rules, 1961,—

(a) in rule 29C,—

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

'A declaration under sub-section (1A) of section 197A by a person (not being a company or firm) for payment of interest other than "interest on securities" without deduction of tax at source under section 194A as the case may, be, shall be in Form number 15H and shall be verified in the manner indicated therein;

(ii) in sub-rule (4), after the words, 'interest other than "interest on securities" or,' the words "income in respect of units" shall be inserted!

(b) for Form number 15H, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM NO. 15H

[See rule 29C(3)]

Declaration under section 197A(1A) of the Income-tax Act, 1961, to be made by a person (not being a company or a firm) claiming receipt of interest other than "interest on securities" or income in respect of units without deduction of tax.

Part I

I/We*.. *son/daughter/wife of ....

resident of .... @do hereby declare —

1. that the sums, particulars of which are given below, stand in *my/our name and beneficially belong to *me/us, and *the interest in respect of such sums and/or income in respect of units is/are not includible in the total income of any other person under sections 60 to 64 of the Income-Tax Act, 1961;

*Table I

Name and address of the person to whom the sums are given on interest	Amount of such sums	Date on which sums were given on interest	Period for which such sums were given on interest	Rate of interest

*Table II

Name and address of the Mutual Fund	Number of units	Class of units and face value of each unit	Distinctive number of units	Income in respect of units

2. that *my/our present occupation is .....;

3. that the tax on my/our estimated total income including the interest other than "interest on securitees" *and/or income in respect of units, referred to in paragraph 1 computed in accordance with the provistions of the Income-tax Act, 1961, for the previous year ending.....relevant to the assessment year 19... 19... will be nil,

4. *that *I/we have not been assessed to income-tax at any time in the past but *I/we fall within the jurisdiction of the Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax .....;

OR

that *I was/we were last assessed to income-tax for the assessment year 19..... 19..... by the Assessing Officer ..... Circle/Ward/District and the permanent account number allotted to me/us is .....

.....
**Signature of the declarant

Verification

*I/We, ... hereby declare that the contents of paragraphs 1 to 4 are true to the best of *my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

Verified today, the ..... day of .....19.....

Place .....

.....
Signature of the declarant

Part II

[FOR USE BY THE PERSON TO WHOM THE DECLARATION IS FURNISHED]

1. Name and address of the person responsible for paying interest on sums or income in respect of units, as the case may be, mentioned in paragraph 1 of the declaration .....

2. Date on which the declaration was furnished by the declarant.....

3. Period for which interest or income in respect of units, as the case may be, is credited/paid.....

4. Amount of interest or income in respect of units, as the case may be .....

5. Rate at which interest or income in respect of units, as the case may be, is credited/paid.....
Forwarded to the Chief Commissioner or Commissioner of Income-tax, ...

Place .....
Date .....

.....
Signature of the person responsible for paying *interest other than "interest on securities"/ "income in respect of units"

Notes :

1. @Give complete postal address.
2. The declaration should be furnished in duplicate.
3. *Delete whichever is not applicable.
4. **Indicate the capacity in which the declaration is furnished on behalf of a Hindu undivided family, association of perosons, etc.
5. Before signing the verification, the declarant should satisfy himself that the information furnished in the declaration is true, correct and complete in all respects.
6. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to be prosecuted under section 277 of the Income-tax Act, 1961, and on conviction be punishable —
   (i) in a case where the amount of tax, which would have been evaded if the statement or account had been accepted as true, exceeds one hundred thousand rupees, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
   (ii) in any other case, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine.".

[No. 9805/ F.No. 142/29/95-TPL.]

K.G. BANSAL, Director (TPL)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995